

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर


राजेन्द्र सिंह यादव बनाम सुरेश चन्द वगैरा

किरम मुकदमा दावा

रा0का0अधि0

नं0

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.08.2022	<p>वकील वादी ने मूल वाद पेश किया दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो दिनांक 06.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अलवर                 </p> <p>6/11/22                      पत्रवाली पेश हुई। जज का कार्यालय पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यालय में व्यस्त है। दिनांक... 12/9/22 को पेश हो।</p> <p>12/9/22                      वकील वादी ने मूल वाद पेश किया दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो दिनांक 29/9/22 को पेश हो।</p> <p>29/9/22                      वकील वादी ने मूल वाद पेश किया दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो दिनांक 18-9-10-22 को पेश हो।</p>	

d/tyrt

पत्रवाली पेश हुई। उमद पेश उपरी

पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यालय

में व्यस्त है। दिनांक... 2.9.22

को पेश हो।

रीडर

Page 538

दिनांक 6-9-23 को पेश हो

20/3/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरो  
पीठाधीन अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक... 20/3/23...  
को पेश हो।

21/3/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरो  
पीठाधीन अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक... 21/3/23...  
को पेश हो।

16/1/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरो  
पीठाधीन अधिकारी अन्य प्रशासक कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक... 16/1/23...  
को पेश हो।

8-3-23 पत्रावली पेश हुई। जमीन जमीन उपस्थित  
परिष्कार लम्कार को जबाब बाह्य न्यायिक  
में मन्त्रिम व्यवहार किया जाकर पत्रावली  
13-3-23 को पेश होवे।

उपस्थित अधिकारी  
अलयर

13-3-23 पत्रावली पेश हुई। अग्रणी 2002 बाकजुद  
न्यायिक लम्कार दिए जाने के उपरान्त भी  
जबाब पेश नहीं किया अग्रणी 2002 के  
विवाद एक तरफा कोषवादी करते हुए जवाब  
व्यव किया जाता है पत्रावली 20-3-23  
को पेश होवे।

उपस्थित अधिकारी  
अलयर

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर




बनाम .....

सन् .....

रज मुकदमा .....

नं० .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>20-3-23</p> <p>पतावनी पेश हुई मकील उभरी उपलब्ध बाले बखर लखर बाटा बाटा मकील में लखर पिना जाकर पतावनी 27-3-23 को पेश की।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> अलवर</p>	
27-3-23	<p>पतावनी पेश हुई मकील उभरी उपलब्ध बाले बखर पतावनी पिनांक 29-3-23 को पेश की।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> अलवर</p>	
29-3-23	<p>पतावनी पेश हुई मकील उभरी उपलब्ध बखर लखरी बाटा पतावनी बाले उपलब्ध मोहरी पतावनी पिनांक 3-4-23 को पेश की।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> अलवर</p>	
	<p>03-4-23</p> <p>पतावनी पेश हुई मकील उभरी उपलब्ध बखर लखरी बाटा पतावनी बाले उपलब्ध मोहरी पतावनी पिनांक 6-4-23 को पेश की।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> अलवर</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर : अहकार हुकम के में जा
6-4-23	<p>पतावली पेश हुई जजमिक आदेश हुकम ले लिखा जाकर सुने मजदूर के लिये जजमिक हुकम ले प्रति तदनीमदा र कलक को मिलकर जाकर कुरैजत रिपोर्ट फाइल की जाकर पतावली दिनांक 20-4-23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अजय अधिकारी</b>          अलावर       </p>	
20 23	<p>पतावली पेश हुई बकील डाया द्वारा डाक्टर 6 R17 पेश किया गया बकील डाया को लुगा गया बकील डाया को ही से प्रोसेडित बाप फत बाप दोपहर पेश किया। फाइल बकील डाया द्वारा बाप फत पेश किया प्रोसेडित पतावली जय किपा गया अडावाजिज के फुल गेटिस बाते तलनी जारी है पतावली दिनांक 8-5-23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अजय अधिकारी</b>          अलावर       </p>	
8-5-23	<p>पतावली पेश हुई गेटिस जारी है पतावली दिनांक 24-5-23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अजय अधिकारी</b>          अलावर       </p>	

ख  
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

24-5-23

पतावनी पेश हुई बकील वकील उपस्थित  
उतिवारी को हुकम तामील बाद भी उपस्थित  
नहीं हुकम उतिवारी के विरुद्ध एक तरफ  
कार्यवाही अन्ततः से लेते हुये जबतक हुकम  
विराजता है पतावनी वाले बचल  
पतावनी दिनांक 30-5-23 को पेश  
होवे।

उपस्थित अधिकारी  
अलपर

30-5-23

पतावनी पेश हुई बकील वकील उपस्थित  
हु.पत्र 06 R17 पर बचल सुनी  
उत्त पतावनी वाले कोपेश पतावनी  
दिनांक 01-6-23 को पेश होवे।

उपस्थित अधिकारी  
अलपर

01-6-23

पतावनी पेश हुई बकील वकील उपस्थित  
बचल कोपेश पतावनी दिनांक 05-6-23  
को पेश होवे।

उपस्थित अधिकारी  
अलपर

5-6-23

पतावनी पेश हुई हु.पत्र 06 R17 पर  
कोपेश हुकम से निरवाया जाकर सुनने  
आपसप के लुत्वाप गलत सिद्धोपुति  
तदलीकपर अन्ततः कोपेशवाची निरवह  
जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाके पतावनी  
दिनांक 15-6-23 को पेश होवे।

उपस्थित अधिकारी  
अलपर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका हुकम व में छ
15-6-23	<p>तहसीलदार अन्तर्गत रिपोर्ट अन्तर्गत इन्तर्गत रिपोर्ट के प्रस्तावनी दिनांक 19-6-23 को देखा होवे।</p> <p style="text-align: center;">4 उपरोक्त अधिकारी अन्तर्गत</p>	
19-6-23	<p>प्रस्तावनी देखा हुवे तहसीलदार ले रिपोर्ट कुम्हारि जाण्ड शी.प्रि.मि. किण्व राज्य प्रस्तावनी वाले बहल अन्तिम प्रस्तावनी दिनांक 21-6-23 को देखा होवे।</p> <p style="text-align: center;">4 उपरोक्त अधिकारी अन्तर्गत</p>	
21-6-23	<p>प्रस्तावनी देखा हुवे बहल लुमी गदि प्रस्तावनी वाले बादेव दिनांक 26-6-23 को देखा होवे।</p> <p style="text-align: center;">2 उपरोक्त अधिकारी अन्तर्गत</p>	
26-6-23	<p>प्रस्तावनी देखा हुवे विपरीत प्रस्तावनी निरखान जाकर अन्तर्गत अन्तर्गत में अन्तर्गत राज्य प्रस्तावनी अन्तर्गत ले काम हो बादेव तकमील प्रस्तावनी वास्तविक देखा होवे।</p> <p style="text-align: center;">2 उपरोक्त अधिकारी अन्तर्गत</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर  
पीठासीन अधिकारी – श्री अशोक कुमार त्यागी (आर.ए.एस.)

दावा संख्या  
1/133

तारीख दायर  
01.08.2022

तारीख प्रारम्भिक डिक्री  
05-6-23

बतनवान

1. राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र चन्द्रभान यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मांजरीखोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल राठनगर अलवर।

—वादी

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र रामचन्द्र यादव जाति अहीर निवासी ए-269 हसन खां, मेवात नगर, तहसील व जिला अलवर।

—असल प्रतिवादी

2. राजस्थान राज्य जर्ने तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील व जिला अलवर।

—तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,  
188 राज.काश्त.अधिनियम, 1955  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश  
6 नियम 17 सी.पी.सी.

प्रारम्भिक निर्णय (आदेश 6 नियम 17)

वाद वादी ने सी.पी.सी. अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय द्वारा राज.काश्त.अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 296/2669 रकबा 0.1800 हैक्टेयर वाके ग्राम अलवर नं. 1 की प्रारम्भिक डिक्री आदेश दिनांक 06.04.2023 जारी किये गये थे। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहवन से आराजी खसरा नम्बर 296/2669 अंकित हो गया था। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 296/2669 के स्थान पर 396/2669 रकबा 0.1800 हैक्टेयर वाकेग्राम अलवर नं. 1 की प्रारम्भिक डिक्री आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार करते हुए नवीन वाद प्रस्तुत हुआ। संशोधित वाद संलग्न मूल पत्रावली किया गया। वाद में अंकित पक्षकारान को पुनः नोटिस जारी किये गये। वाद तामील प्रतिवादी उपस्थित नहीं आया।

d/SDM Alwar Judgment/repared

उपखण्ड अधिकारी  
अलवर


Page 1515

amirah

वाद वादी की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-



अतः वाद प्रतिवादी एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दावा वादी इस प्रकार संशोधित प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 396/2669 रकबा 0.1800 हैक्टेयर वाके ग्राम अलवर नं. 1 के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस अनुसार मौके पर आवश्यक रूप से उभयपक्षकारान की मौजूदगी में ही कुरेजात कायम कर कुरेजात रिपोर्ट बैरंग सुर्खी से दर्शाते हुए तीन प्रतियों में आगामी तारीख पेशी 15.06.2023 से पूर्व न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

  
(अशोक कुमार त्यागी)  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर